

आदेश
शुद्धि पत्र

सं०सं०-18 (ए)/विविध -06-32/2026

स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० अभिषेक कुमार, दंत चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिथान, समस्तीपुर, बिहार को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-139(18'ए') दिनांक-16.12.2025 के द्वारा दिनांक-25.09.2023 के प्रभाव से प्रथम डी०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तत्संबंधी वेतन पूर्जा निर्गत करने के क्रम में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक-355(25), दिनांक-26.02.2026 के द्वारा भी यह सूचना दी गयी है कि वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के उपलब्ध अभिलेख में प्रभार ग्रहण की तिथि 26.09.2019 है, जिस कारण प्रथम डी०ए०सी०पी० की स्वीकृति हेतु दिनांक-25.09.2023 को 04 वर्षों की अपेक्षित कालावधि पूर्ण नहीं हो पा रही है। अतएव इनके पक्ष में स्वीकृत प्रथम डी०ए०सी०पी० की तिथि में नियमानुसार अथवा दिनांक-25.09.2019 का विनियमन आदेश उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। उक्त के क्रम में ही डा० अभिषेक कुमार ने भी अपने प्रथम डी०ए०सी०पी० की देयता तिथि को प्रथम प्रभार रिपोर्ट (जिसके अनुसार प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि-26.09.2019 है) सलग्न करते हुए तदनुसार प्रथम डी०ए०सी०पी० की देयता की तिथि को 26.09.2023 के रूप में सशोधित करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित कड़िकाओं के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-139(18'ए') दिनांक-16.12.2025 में अंकित डा० कुमार के प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि को सशोधित करते हुए तदनुसार प्रथम डी०ए०सी०पी० की देयता की तिथि को संशोधित किया जाना नियमानुकूल प्रतीत होता है।

अतः समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि पूर्व में निर्गत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-139(18'ए') दिनांक-16.12.2025 के परिशिष्ट सख्या-15 के क्रम सख्या-227 के कॉलम-04 में अंकित प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि को 25.09.2019 के स्थान पर 26.09.2019 तथा कॉलम संख्या-05 में अंकित प्रथम डायनेमिक ए०सी०पी० की अनुमान्यता तिथि को-25.09.2023 के स्थान पर 26.09.2023 पढ़ा जाय।

अधिसूचना सख्या-139(18'ए') दिनांक-16.12.2025 की शेष सभी तथ्य यथावत् रहेंगे।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :-स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-139(18'ए')

दिनांक-16.12.2025 की छाया प्रति।

ह०/-

(मो० शफीक)

सरकार के संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-18 प्र०को०/विविध -06-32/2026 - 88 (18'ए') पटना, दिनांक- 28.07.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-355(25)

दिनांक-26.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-डा० अभिषेक कुमार, दंत चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिथान, समस्तीपुर, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

28/7/2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-18(प्र०को०)/विविध -01-08/2018

स्वा०, पटना, दिनांक-

1. (i) वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-279 दिनांक 25.11.2008 के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सकों की 6 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-10000-15200, पुनरीक्षित-15600-39100 पी०बी०-3, ग्रेड पे०-6600) में, 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-12000-16500, पुनरीक्षित-15600-39100 पी०बी०-3, ग्रेड पे०-7600) में एवं 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर तृतीय डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-14300-18300, पुनरीक्षित-37400-67000 पी०बी०-4, ग्रेड पे०-8700) में दिये जाने का प्रावधान है जिसकी प्रभावी तिथि 25.11.2008 है।

(ii) स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1373(2) दिनांक-14.12.2020 (संकल्प संख्या-89(2) दिनांक-25.01.2018 सहित) के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सकों को 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-10000-15200 पुनरीक्षित-15600-39100, पी०बी०-3, ग्रेड पे०-6600, वेतन स्तर-11) में, 9 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-12000-16500 पुनरीक्षित-15600-39100 पी०बी०-3, ग्रेड पे०-7600, वेतन स्तर-12) में, 13 वर्ष की सेवा पूरी होने पर तृतीय डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-14300-18300 पुनरीक्षित-37400-67000 पी०बी०-4, ग्रेड पे०-8700, वेतन स्तर-13) में तथा 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चतुर्थ डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-18400-22400 पुनरीक्षित-37400-67000 पी०बी०-4, ग्रेड पे०-10000, वेतन स्तर-14) में एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों को 2 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-12000-16500 पुनरीक्षित-15600-39100 पी०बी०-3, ग्रेड पे०-7600, वेतन स्तर-12) में, 6 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-14300-18300 पुनरीक्षित-37400-67000 पी०बी०-4, ग्रेड पे०-8700, वेतन स्तर-13) में तथा 13 वर्ष की सेवा पूरी होने पर तृतीय डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतनमान-18400-22400 पुनरीक्षित-37400-67000 पी०बी०-4, ग्रेड पे०-10000, वेतन स्तर-14) में दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका वैचारिक लाभ दिनांक-29.10.2008 तथा वास्तविक लाभ दिनांक-01.04.2017 से दिये जाने का प्रावधान है।

(iii) स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1217(17) दिनांक-10.10.2008 एवं 577(17) दिनांक-07.06.2011 के द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों को डायनेमिक ए०सी०पी० का वित्तीय लाभ बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में उनके द्वारा बिताई गई कुल सेवा अवधि 12 एवं 18 वर्षों के बाद क्रमशः सह प्राध्यापक का वेतनमान (पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600) एवं प्राध्यापक का वेतनमान (पी०बी०-4, ग्रेड पे-8700) दिये जाने का प्रावधान है।

अधीक्षक

के

139(18E)
16.12.2025

2. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-1945(2), दिनांक-27.10.2023 के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद का वेतनमान PB 3+ग्रेड पे-6600 (पुनरीक्षित वेतन स्तर-11) दिनांक-25.02.2014 के प्रभाव से लागू किया गया है।

3. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-2184(2), दिनांक-06.12.2023 के द्वारा सामान्य कर्तव्य उपसंवर्ग के दन्त चिकित्सकों को चार वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0, प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त होने के अगले पाँच वर्षों के पश्चात् अथवा कुल नौ वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0, द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त होने के अगले चार वर्षों के पश्चात् अथवा कुल तेरह वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त तृतीय डायनेमिक एवं तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त होने के अगले सात वर्षों के पश्चात् अथवा कुल बीस वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त दन्त चिकित्सकों को चतुर्थ डायनेमिक ए0सी0पी0 अनुमान्य किया गया है। विशेषज्ञ उपसंवर्ग के दन्त चिकित्सकों को दो वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0, प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त होने के अगले चार वर्षों के पश्चात् अथवा कुल छः वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 एवं द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्राप्त होने के अगले सात वर्षों के पश्चात् अथवा कुल तेरह वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त दन्त चिकित्सकों को तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 अनुमान्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना 670 (2) दिनांक 29.04.2025 के द्वारा उक्त सभी दंत चिकित्सकों को डी0ए0सी0पी0 का वैचारिक लाभ दिनांक 14.10.2014 से एवं वास्तविक दिनांक-01.04.2017 से दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. स्वास्थ्य विभागीय सकल्प संख्या-1556(आ0चि0) दिनांक-04.12.2018 के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भांति आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) प्रक्षेत्र के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों को 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 वेतनमान-10000-15200, पुनरीक्षित-15600-39100 पी0बी0-3, ग्रेड पे0-6600, वेतन स्तर-11) में, 9 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 (वेतनमान-12000-16500, पुनरीक्षित-15600-39100 पी0बी0-3, ग्रेड पे0-7600, वेतन स्तर-12) में, 13 वर्ष की सेवा पूरी होने पर तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 (वेतनमान-14300-18300, पुनरीक्षित-37400-67000 पी0बी0-4, ग्रेड पे0-8700, वेतन स्तर-13) में तथा 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चतुर्थ डायनेमिक ए0सी0पी0 (वेतनमान-18400-22400, पुनरीक्षित-37400-67000 पी0बी0-4, ग्रेड पे0-10000, वेतन स्तर-14) में दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका वैचारिक लाभ दिनांक-21.12.2010 से एवं वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 से दिये जाने का प्रावधान है।

5. तदालोक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक-28.11.2025 को आहूत बैठक में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग/बिहार दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग/बिहार आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों/चिकित्सक शिक्षकों को सलग्न परिशिष्ट के अनुसार (संक्षिप्त विवरणी) ए0सी0पी0/डायनेमिक ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित कुल - 376 (तीन सौ छिहत्तर) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (ii) संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित कुल - 149 (एक सौ उन्चास) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (iii) संलग्न परिशिष्ट-3 में अंकित कुल -04 (चार) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (iv) संलग्न परिशिष्ट-4 में अंकित कुल - 30 (तीस) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल चतुर्थ डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (v) संलग्न परिशिष्ट-5 में अंकित कुल - 10 (दस) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल प्रथम एवं द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (vi) संलग्न परिशिष्ट-6 में अंकित कुल -07 (सात) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (vii) संलग्न परिशिष्ट-7 में अंकित कुल -02 (दो) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल तृतीय एवं चतुर्थ डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (viii) संलग्न परिशिष्ट-8 में अंकित कुल -05 (पाँच) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (ix) संलग्न परिशिष्ट-09 में अंकित कुल -01 (एक) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी को केवल द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (x) संलग्न परिशिष्ट-11 में अंकित कुल -103 (एक सौ तीन) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के उपसंवर्ग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (xi) संलग्न परिशिष्ट-12 में अंकित कुल -09 (नौ) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के उपसंवर्ग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (xii) संलग्न परिशिष्ट-13 में अंकित कुल -69 (उन्हत्तर) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के उपसंवर्ग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल प्रथम एवं द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (xiii) संलग्न परिशिष्ट-15 में अंकित कुल -230 (दो सौ तीस) बिहार दंत चिकित्सा संवर्ग के चिकित्सकों को केवल प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (xiv) संलग्न परिशिष्ट-16 में अंकित कुल -11 (ग्यारह) बिहार दंत चिकित्सा संवर्ग के दंत चिकित्सकों को केवल चतुर्थ डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (xv) संलग्न परिशिष्ट-18 में अंकित कुल -145 (एक सौ पैंतालीस) चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों को केवल प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (xvi) संलग्न परिशिष्ट-19 में अंकित कुल -02 (दो) चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों को केवल द्वितीय एवं तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0।
- (xvii) संलग्न परिशिष्ट-20 में अंकित कुल -04 (चार) चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों को केवल तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0।

जहाँ नमूना है

पु

139(18E)
16.12.2025

(xviii) संलग्न परिशिष्ट-21 में अंकित कुल -42 (बियालिस) चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के चिकित्सक शिक्षकों को केवल प्रथम एवं द्वितीय डायनेमिक ए०सी०पी०।

(xiv) संलग्न परिशिष्ट-24 में अंकित कुल -01 (एक) आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी को केवल प्रथम डायनेमिक ए०सी०पी०।

(xv) संलग्न परिशिष्ट-25 में अंकित कुल -01 (एक) आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी को केवल द्वितीय डायनेमिक ए०सी०पी०।

(xvi) संलग्न परिशिष्ट-27 में अंकित कुल -01 (एक) आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी को केवल प्रथम एवं द्वितीय डायनेमिक ए०सी०पी०।

(xvii) संलग्न परिशिष्ट-28 में अंकित कुल -04 (चार) आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी को केवल चतुर्थ डायनेमिक ए०सी०पी०।

(xviii) संलग्न परिशिष्ट-29 में अंकित कुल -02 (दो) आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों को केवल चतुर्थ डायनेमिक ए०सी०पी०।

8. इस प्रकार बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग/चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग एवं आयुष चिकित्सा सेवा संवर्ग के कुल 1208 चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सक शिक्षकों के ए०सी०पी०/डी०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

9. उक्त देय ए०सी०पी०/डी०ए०सी०पी० के फलस्वरूप वेतन/पेंशन का निर्धारण वित्त विभाग के मौलिक नियमों (Fundamental Rules) के अनुसार महालेखाकार कार्यालय/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा किया जायेगा।

10. उपर्युक्त सभी अनुशंसाओं एवं इससे संबंधित अधिसूचना में नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल/जन्म तिथि/योगदान की तिथि/प्रभार ग्रहण की तिथि एवं डी०ए०सी०पी०/ए०सी०पी० की अनुमान्यता की तिथि एवं अन्य में यदि कोई भी संशोधन अपेक्षित होगी तो इसके संशोधन एवं इसे रद्द सचिव, स्वास्थ्य से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के द्वारा ही किये जाने की अनुशंसा की जा सकेगी।

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शैलेश कुमार) 16/12/25
सरकार के विशेष सचिव।

सं०सं०-18(प्र०को०)/विविध -01-08/2018 139(18 ए) स्वा०, पटना, दिनांक-16.12.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (ले०एवंह०) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

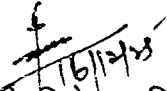
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

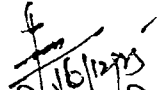
प्रतिलिपि :-सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी संबंधित सिविल सर्जन/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी नियंत्री पदाधिकारी/निदेशक, आई0जी0आई0सी0, पटना/निदेशक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, अगमकुआँ, पटना/निदेशक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

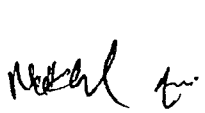
प्रतिलिपि :-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति, बिहार पटना के आप्त सचिव/सदस्य-सह-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सदस्य-सह-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्रीमती रचना पाटिल, सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/श्री शंभू शरण, अपर सचिव-सह-अध्यक्ष, विभागीय स्क्रीनिंग समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/श्री विश्वजीत हेनरी, विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबद्ध श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना)/श्री गुफरान अहमद-सदस्य-सह-विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री मो0 शफीक, उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-18'ए'/अवर सचिव, प्रभारी, प्रशाखा-18'ए'/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन)-सह-सदस्य, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग, मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी-2ए, 2बी, 3, 7ए, 7बी, 9ए, 9बी, 16, 17 एवं 18'ए' स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सभी परिशिष्ट सहित विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

139(18E)
16.12.2025

परिशिष्ट-15

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि	संकल्प सं०-2184(2) दिनांक-06.12.2023 एवं संकल्प सं०-670(2) दिनांक-29.04.2025
				प्रथम डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतन स्तर-11) अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4	5
1.	डा० मो० शदाब अली दंत चिकित्सक	29.03.1985	17.09.2019	17.09.2023
2.	डा० सतोष झा दंत चिकित्सक	27.01.1976	16.09.2019	16.09.2023
3.	डा० रचना राज दंत चिकित्सक	11.12.1982	10.10.2019	10.10.2023
4	डा० पुरुषोत्तम सिंह दंत चिकित्सक	22.01.1980	19.09.2019	19.09.2023
5.	डा० तनवीर उद्दीन दंत चिकित्सक	15.04.1976	19.09.2019	19.09.2023
6.	डा० निरजन कुमार दंत चिकित्सक	01.01.1980	16.09.2019	16.09.2023
7	डा० प्रिय रजन दंत चिकित्सक	08.09.1988	16.09.2019	16.09.2023
8	डा० अशुमान पाण्डेय दंत चिकित्सक	01.12.1985	20.09.2019	20.09.2023
9.	डा० जयदीप कुमार दंत चिकित्सक	27.02.1976	17.09.2019	17.09.2023
10	डा० अमजद करीम दंत चिकित्सक	10.06.1978	19.09.2019	19.09.2023
11.	डा० संतोष कुमार दंत चिकित्सक	15.01.1978	24.09.2019	24.09.2023
12.	डा० कुणाल मिश्र दंत चिकित्सक	10.02.1978	17.09.2019	17.09.2023
13.	डा० सर्वदमन कुमार दंत चिकित्सक	31.12.1979	14.09.2019	14.09.2023
14.	डा० अमित कुमार दंत चिकित्सक	14.10.1986	01.10.2019	01.10.2023
15	डा० इन्दु कुमारी दंत चिकित्सक	01.01.1972	19.09.2019	19.09.2023
16	डा० विशाल कुमार दंत चिकित्सक	15.06.1985	14.09.2019	14.09.2023

139(184)
16.12.2023

84



क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि	संकल्प सं०-2184(2) दिनांक-06.12.2023 एवं संकल्प सं०-670(2), दिनांक-29.04.2025
				प्रथम डायनेमिक ए०सी०पी० (वेतन स्तर-11) अनुमान्यता की तिथि
1	2	3	4	5
217	डा० प्रज्ञा भारती दंत चिकित्सक	02 05 1983	14.09 2019	14.09.2023
218	डा० मनोज कुमार दंत चिकित्सक	12.01 1977	23.09.2019	23.09.2023
219	डा० ओमप्रकाश यादव दंत चिकित्सक	05 09 1973	03 10 2019	03.10.2023
220	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह दंत चिकित्सक	23.11 1969	26.09.2019	26.09.2023
221	डा० अविनाश कुमार दंत चिकित्सक	15 11 1979	30 12 2019	30.12.2023
222	डा० कुमार अमित दंत चिकित्सक	01 03 1983	11 10 2019	11.10.2023
223	डा० सुभाष कुमार सिंह दंत चिकित्सक	08 09 1974	21.09 2019	21.09.2023
224	डा० उमाशंकर कुमार शर्मा दंत चिकित्सक	07.07 1976	19.09 2019	19.09.2023
225	डा० रविन्द्र कुमार प्रसाद दंत चिकित्सक	10 06 1971	25 09 2019	25.09.2023
226	डा० भारती भूषण दंत चिकित्सक	15 08.1987	23 09 2019	23.09.2023
227	डा० अभिषेक कुमार दंत चिकित्सक	16 10 1986	25 09 2019	25.09.2023
228	डा० प्रवीण कुमार दंत चिकित्सक	03 05 1968	10.10 2019	10.10.2023
229	डा० भाग्य नारायण चौधरी दंत चिकित्सक	15.10 1975	18 09 2019	18.09.2023
230	डा० मो० ज्याउर रहमान, दंत चिकित्सक	01.01 1967	04 10 2019	04.10.2023

139(18E)
16.12.2023

सरकार के विशेष सचिव
अर्थ विभाग, बिहार, पटना

Niphal

de Ru

परिशिष्ट-29

यूनानी संवर्ग

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं पदस्थापन	जन्म तिथि	प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि	चतुर्थ डी०ए०सी०पी० की अनुमान्यता की तिथि 37400-67000+ 10000 (लेवल-14)
1	2	3	4	5
1	डा० नजीब अहमद उपाधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना (सेवानिवृत्त)	20 01 1958	01 05 1987	21.12.2010
2	डा० मो० अदीब अहमद ब्याख्याता, महियतुल अमराज राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना।	05 02 1962	03 03 1993	03.03.2013

139(18E)
16.12.2025

सरकार के विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
16.12.2025

Nipul

E

RK